

22.04-24


(Not Procs)

श्रीमती गंगा देवी
जाने के माध्यम
द्वारा आगे-पुआगा
-वाही-पारत है



वकील वाडी द्वारा प्रार्थन पत्र पेश करने पर
आज यह पत्रपत्नी पेशी में ली गई। वकील
वाडी ने प्रार्थन पत्र पेश कर निवेदन किया
कि वाडी एवं परिवारी संख्या-1, जो सगे
सगे भाई हैं, श्री मृत्यु हो चुकी है वाडी एवं
परिवारी संख्या-1 के वारिसों तथा परिवारी
संख्या-2 का झपक है श्रीमती गंगा देवी-युक्त
है वकील वाडी ने निवेदन किया कि वाडी
के वारिस इस प्रकार हैं आगे कोई कार्यवाही
नहीं चाहते हैं। इसलिए इस वाद पत्र को
मोट प्रेश के आधार पर खारिज किया जावे।
अतः वाडी वकील का प्रार्थन पत्र स्वीकार
किया जाकर मोट प्रेश के आधार पर वाडी
का यह वाद पत्र इसी स्तर पर खारिज
किया जाता है पत्रपत्नी बाद तरीक तकरीब
हो कर दायित्व दफ्तार हो।

निर्णय खुले न्यायालय में लिखाया जाकर
सुनाया गया।


(मनोज कुमार शीष)
R.A.S.

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना

